



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट थाना जैतपुर जनपद आगरा।

दिनांक 30.06.2021

थाना जैतपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना को अन्जाम देने वाले एक अभियुक्ता एवं एक बाल अपचारी कुल 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार.....

दिनांक 19.06.2022 वादिया द्वारा थाना जैतपुर पर सूचना दी गयी कि दिनांक 28.04.2022 को मेरा पति नारायण सिंह घर से ग्राम वैदपुरा थाना जैतपुर में ओमप्रकाश के घर हलवाई का काम करने गया था, जो घर वापस नहीं आया, काफी खोजबीन करने के पश्चात भी कोई पता नहीं चल सका। इस सम्बन्ध में थाना जैतपुर पर गुमशुदगी सं० 009/22 पंजीकृत की गयी।

उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी बाह के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष जैतपुर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

दिनांक 28.06.2022 को वादिया अपने देवर के साथ थाना जैतपुर आयी एवं सूचना दी गयी कि मेरे पति नारायण के सीमा पत्नी चन्तई नि० लोहन्न चौराहा थाना सिविल लाइन इटावा से अवैध सम्बन्ध थे जिससे मेरे पति आये दिन खूब बातचीत करते थे। मेरे मना करने के बाद भी नहीं मानते थे। सीमा ने मुझे धमकी भी दी थी की मैं नारायण को मरवा दूंगी। मुझे शक है कि मेरे पति को सीमा ने मार दिया या मरवा दिया है। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त चन्तई को गिरफ्तार कर लिया गया था एवं अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक के शव/कंकाल को बरामद कर लिया गया था। इस सम्बन्ध में थाना जैतपुर पर मु०अ०सं० 51/22 धारा 302,201,120बी भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में वांछित दो अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता सीमा व उसका भाई आगरा जाने की फिराक में नहटौली तिराहे पर खड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस बताये स्थान पर पहुंची और एक बारगी दबिश देते हुए दोनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ का विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा घटना के सम्बन्ध में अभियुक्ता से पूछताछ की तो सीमा द्वारा बताया गया कि नारायण मुझ से बात करता था, इस बात की जानकारी मेरे पति को हो गयी थी। मेरे पति नहीं चाहते थे कि मैं उससे बात करूं लेकिन नारायण ने मुझसे बात करना बन्द नहीं किया। इस पर मेरे पति चन्तई ने मुझे मेरे बच्चों की कसम देकर नारायण को कॉल करवाकर

अपने घर बुलवाने को कहा तो मैंने नरायन उपरोक्त को अपने घर के बगल में स्थित खाली प्लॉट में कॉल करके बुलाया। जैसे ही वह प्लॉट में मेरे नजदीक आया तो मैंने योजना के अनुसार नरायन को पकड़ लिया, इतने में ही मेरे पति चन्तई उर्फ चन्टई व भाई मौके पर आ गया और हम तीनों ने मिलकर नरायन को जमीन पर गिरा लिया और उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हम दोनों घर से प्लास्टिक का बोरा लाये। नरायन के शव को बोरे में भरकर नरायन की ही मोटर साइकिल जो मेरे घर के बाहर खड़ी थी, पर रखकर उसे इटावा भिण्ड बायपास की तरफ लाइन सफारी के सामने नाले में ले जाकर डाल दिया ताकि किसी को घटना की जानकारी ना हो सके। मेरे पति को आप लोगो ने गिरफ्तार कर लिया जिसके सम्बन्ध में वकील से मिलने अपने भाई के साथ आगरा जा रही थी। बरामद मोबाइल के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि इसी मोबाइल से मैं नरायन से बात करती थी, जिसे आज मैं रास्ते में पडने वाली नदी में फेंकने वाली थी।

सीमा के भाई बाल अपचारी से पूछा गया तो बताया गया कि नरायन मेरी दीदी से बात करता था। यह बात मेरे जीजा चन्तई उर्फ चन्टई को पसन्द नहीं थी इसीलिये जीजा ने मुझे अपने घर बुलाया था। हम तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि दीदी से नरायन को बुलवाकर यहीं उसकी हत्या कर देंगे। उसी क्रम में मेरी दीदी सीमा द्वारा नरायन उपरोक्त को 28.04.2022 को अपने घर बुलाया व हम तीनों ने मिलकर पूर्व योजना के अनुसार उसकी हत्या कर दी और शव को नाले में डाल दिया था। जिससे किसी को इस घटना के बारे में पता ना चल सके। आज मैं अपनी दीदी सीमा के साथ अपने जीजा चन्तई उर्फ चन्टई की जमानत कराने के लिये यहां पर बस का इन्तजार कर रहा था बरामदशुदा मोबाइल के बारे में बताया कि यह नारायन का है जिसे मैं अपने साथ अपने गांव ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:—

01. सीमा पत्नी चन्तई उर्फ चन्टई नि० लोहन्ना चौराहा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।
02. बाल अपचारी।

बरामदगी का विवरण :-

01. 02 मोबाइल (एक मोबाइल मृतक का एवं दूसरा घटना में प्रयुक्त)।

आपराधिक इतिहास का विवरण :-

01. मु०अ०सं० 51/22 धारा 302,201,120बी भादवि थाना जैतपुर आगरा

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :-

1. थानाध्यक्ष श्री अवनीत मान थाना जैतपुर जनपद आगरा।
2. उ०नि० सचिन धामा प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद आगरा।
3. उ०नि० सौरभ सिंह थाना जैतपुर जनपद आगरा।
4. है०का० राकेश कुमार थाना जैतपुर जनपद आगरा।
5. का० अंकित कुमार, का० मोहित तोमर थाना जैतपुर जनपद आगरा।
6. म०का० अनीता थाना जैतपुर जनपद आगरा।